न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गाप्रसाद मीणा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 239/2023 निर्णय दिनांक :– 8/5/2024

उनवानी प्रार्थना पत्रः–

1. गिरधर सिंह पुत्र गोपाल सिंह जाति राजपूत निवासी नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. नन्दभंवर सिंह पुत्र रघुवीरसिंह जाति राजपूत जाति राजपूत निवासी नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. नारायण सिंह पुत्र गोपाल सिंह जाति राजपूत निवासी नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक राज0
4. पानकंवर पत्नी स्व0 गोपाल सिंह जाति राजपूत निवासी नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक राज0
5. महेन्द्र सिंह पुत्र रघुवीर सिंह जाति राजपूत निवासी नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक राज0
6. शंकर सिंह पुत्र गोपाल सिंह जाति राजपूत निवासी नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक राज0
7. सायर पत्नी स्व0 श्री रघुवीर सिंह जाति राजपूत निवासी नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक राज0

–प्रार्थीगण–

बनाम

तहसीलदार देवली तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

–अप्रार्थी–

उपस्थिति :– श्री भारत सिंह **तहसीलदार देवली**
अधिवक्ता प्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0 आर0 एक्ट आर.टी.ए

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि खातेदारी की आराजी भूमि खाता संख्या 965 खसरा नम्बर 32 रकबा 0.28 है0, खसरा नम्बर 33 रकबा 0.27 है0 व खसरा नम्बर 34 रकबा 1.78 है0 वाके ग्राम नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित है।

उक्त आराजीयात प्रार्थी की खातेदारी की भूमि है। जिस पर काफी समय से ही सम्पूर्ण भूमि पर काबिज–काश्त है। वर्तमान में आस–पास के खेत वालो ने प्रार्थी की उक्त भूमि पर मेड डोल को नष्ट कर दी है। प्रार्थी के खेत के पडोसियों ने नाजायज रूप से फायदा उठाकर ग्राम पंचायत की भूमि को अपनी भूमि में मिलाने पर आमादा है तथा सीमाज्ञान के चिन्हो को धीरे–धीरे आने खेत में मिलाना चाह रहे है। इस कारण से प्रार्थी अपनी खातेदारी व कब्ते काश्त की आराजीयात की पत्थरगढी करवाना चाहता है। ताकि प्रार्थी की आराजी के पडोसी काश्तकार प्रार्थी की भूमि को अपने खेतो में नही मिला सके और मौके पर किसी भी तरह का विवाद उत्पन्न ना हो। अप्रार्थी तहसीलदार तहसील देवली जिला टोंक लेण्ड हॉल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। इसलिए अप्रार्थी को उक्त वर्णित भूमि की पत्थरगढ़ी कराने के आदेश न्यायहित में प्रदान करे। प्रार्थीगण की कृषि भूमि श्रीमान् के क्षेत्राधिकार में होने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र की सुनवाई का अधिकार श्रीमान् को प्राप्त है तथा प्रार्थना पत्र उचित कोर्ट फीस व अन्दर मियाद पेश किया जा रहा है। प्रार्थीगण नियमानुसार पत्थरगढी का शुल्क जमा कराने को तैयार है। अतः उक्त आराजी बाबत् श्रीमान तहसीलदार देवली को नियमानुसार आदेश फरमाया जावे।

अप्रार्थी तहसीलदार देवली की तलबी जारी की गई।

तहसीलदार देवली द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की जो निम्न प्रकार है :– उक्त आराजी आवेदक की खातेदारी में दर्ज है। खसरा नम्बर 32 रकबा 0.28 है0 पर कब्जा नही है। खसरा नम्बर 32 पर खसरा नम्बर 62 के खातेदारों का कब्जा है। आवेदक का अन्य पडौसी खातेदारों से सीमा विवाद होना बताया है। खसरा नम्बर 62 के खातेदारों से विवाद होना बताया गया। आवेदक के समस्त के नाम खातेदारी है। किसी भी पक्षकार का विरासत नामान्तकरण शेष नही है। आवेदक का जिन खातेदारों से विवाद है उनको पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। उक्त आराजी के सम्बंध में किसी न्यायालय में स्थगन नही है। आवेदक की खातेदारी भूमि की सीमाओं पर अतिक्रमित राजकीय भूमि नही है। पूर्व में सीमाज्ञान नही करवाया गया।

पत्रावली बहस में नियत की गई ।

अधिवक्त प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया गया, अधिवक्ता प्रार्थी बहस पर मनन किया। तहसीलदार देवली की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण का ग्राम नासिरदा के खसरा नम्बर 32 पर कब्जा काश्त नही है खसरा नम्बर 32 पर प्रार्थीगण का कब्जा नही होने से खसरा नम्बर 32 पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायोचित नही है। अतः ग्राम नासिरदा के खसरा नम्बर 32 को छोडकर अन्य खसरा नम्बर 33 व 34 के संबंध में तहसीलदार देवली को एतत् द्वारा आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी व पडोसी खातेदारान की उपस्थिति में प्रार्थी का कब्जा होने पर नियमानुसार पत्थरगढी/सीमाज्ञान शुल्क राजकोष में जमाकर, जमाबंदी सम्वत् 2073–76 में अंकित खाता संख्या 965 खसरा नम्बर 33 रकबा 0.27 है0 व खसरा नम्बर 34 रकबा 1.78 है0 कुल किता–02 रकबा 2.05 है0 वाके ग्राम नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक की विधिवत् पत्थरगढी प्रार्थी/प्रार्थीगण का उक्त आराजी पर कब्जा होने पर की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली